न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. गुरमेज सिंह पुत्र तारा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. हाल जामसर जिला बीकानेर (राज.)
2. अमरजीत कौर पत्नी गुरमेज सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. हाल जामसर जिला बीकानेर (राज.)

......प्रार्थीगण......

बनाम

1. दीप सिंह पुत्र श्री तारा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. सुरजीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. सुखदेव कौर पत्नी श्री कपूर सिह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. कर्मवीर सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. कपूर सिंह पुत्र श्री तारा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.) (मृतक)

   5/1. रणजीत सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

   5/2. हरदीश कौर पुत्री कपूर सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
6. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री ओम धायल वकील प्रार्थी
2. शेर सिंह थिन्द, नवीन कुमार मिढ़ढा वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक -22.03.2022

प्रकरण संख्या - 08/2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

लगातार......2

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के नाम से चक 32 जी.बी. का खाता संख्या 16 प.नं. 184/425 मु. नं. 24 का किला नं. 2, 9, 12, 19, 25/1 का 1.076 है. में से 0.506 है. रकबा संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस भूमि के चिपते मु.नं. 37 में आने के लिए मु.नं 36 जो कि चक 32 जी.बी. आबादी है से 20 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत शुदा है। जो खडवंजा बना हुआ है। मु.न. 37 से प्रार्थीगण के मु.नं. 24 में आने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण मु.नं. 24 के किला नं. 16 से पश्चिम दिशा में किला नं. 17, 18, 19 में दक्षिण दिशा किला नं. 22, 23, 24, 25 की बट के साथ चिपते हुए रास्ते को प्रयोग में ले रहे है। प्रार्थीगण को भी अपने खेत में कृषि कार्य के लिए आने व जाने, ट्रेक्टर व ऊंट गाड़ा लाने ले जाने व कृषि औजारों को ले जाने के लिए प्रार्थीगण उपरोक्त मु.नं. 24 के किला नं. 16 से पश्चिम दिशा में किला नं. 17, 18, 19 में दक्षिण दिशा किला नं. 22, 23, 24, 25 की बट के साथ चिपते हुए रास्ते को उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है और अपने वाहनों का भी इसी रास्ता से प्रयोग करते है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए केवल यही एक रास्ता हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। प्रार्थी पूर्ण रूप से अन्य काश्तकारो से घिरा हुआ है और प्रार्थी को प्रार्थी के खेत मे आने जाने व कृषि औजारों को लाने ले जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी इस उक्त वर्णित भूमि में आने जाने एवं कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण की जमीन के साथ चिपते अप्रार्थीगण की भूमि जिनकी जमाबन्दिया संलग्न प्रार्थना है, में दो-दो बिस्वा रास्ता मन्जुर करवाना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले में अपनी कृषि भूमि देने अथवा भूमि के बदले प्रतिफल अदा करने के लिए भी तैयार है। उक्त रास्ता की प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिए आवश्यकता है। जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि को सही रूप से काश्त कर सकेगे। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की कृषि भूमि चक 32 जी.बी. मु.नं. 24 के किला नं. 16 से पश्चिम दिशा में किला नं. 17, 18, 19 में दक्षिण दिशा किला नं. 22, 23, 24, 25 की बट के साथ चिपते हुए 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसी दौरान अप्रार्थी संख्या 5 कपूर सिंह का देहान्त हो गया। जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 5/1 व 5/2 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर संशोधित शीर्षक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5/2 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी पैरोकार [illegible] अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चक 32 जी.बी. मु.नं. 18[illegible] किला नं. 2, 9, 12, 19, 25/1 कुल 1.076 है. रकबा [illegible] अमरजीत कौर पत्नी गुरमेज सिंह, गुरमेज सिंह [illegible] खातेदार दर्ज है। उपरोक्त जोत तक पहुंचने हेतु वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। जोत में आने जाने हेतु वादीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है। मौके पर आने जाने हेतु कोई स्पर्श रास्ता नहीं है। सुविधानुसार खाली रकबे में से होकर आना जाना होता है। वादीगण की जोत के निकटतम स्वीकृत शुदा रास्ता आबादी क्षेत्र के इसी चक के मु.नं.

लगातार..........4

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

36 के किला नं. 1 ता 5 में है व दूसरा रास्ता सूरतगढ़ अनूपगढ़ रोड़ है। इसके अलावा आस पास के मुरब्बो में कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। वादीगण द्वारा मु.नं. 24 किला नं. 17, 18, 19 एवं 22, 23, 24 के मध्य मेड़ पर रास्ता चाहा गया है। जो कि किसी स्वीकृत शुदा रास्ता को मिलान नहीं करता है। अतः जहां से रास्ता दिया जाना व्यवहारिक नहीं है। तथा वादीगण का रकबा भी संयुक्त जोत में है जिसमें चार सह खातेदार है। दो सह खातेदारों द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। जोत विभाजन से पूर्व रास्ता दिया जाना अव्यवहारिक है। पूर्व में प्रेषित की गई रिपोर्ट अनुसार मु.नं. 37 के किला नं. 1 ता 5 व मु.नं. 24 के किला नं. 20, 21 में रास्ता प्रस्तावित किया जा चुका है। मु.नं. 24 के उतर दिशा सूरतगढ़-अनूपगढ़ राज्य मार्ग है। जिससे संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार वादीगण की जोत को रास्ता दिया जाना दूसरा विकल्प है। मु.नं. 19 के किला नं. 20, 21 में कुछ दूरी तक खड़वंजा रास्ता बना हुआ है। वादीगण द्वारा चाहा गया रास्ते 17, 18, 19 एवं 22, 23, 24 के मध्य मेड़ पर मौके पर सिंचाई खाला व पेड़ है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आगे किसी अन्य रास्ते से नहीं मिलता है एवं जिस स्थान रास्ता चाहा गया है वहां मौका पर सिंचाई खाला व पेड़ लगे हुए है इन सब परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना अव्यवहारिक है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:03:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner